न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 03/2017

1 बनवारीलाल पुत्र हरलाल जाति गुर्जर निवासी गुणीनीचा तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 दयाराम पुत्र हरलाल।
2 धर्मपाल पुत्र हरलाल समस्त जाति गुर्जर निवासीगण गुणीनीचा तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट 1955 खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी दावा उनवानी बनवारीलाल बनाम दयाराम आदि दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 167/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी झुंझुनूं सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुलतान बाकोलिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री इन्द्रजीत शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 13.12.23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 167/2016 में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की ओर से रेस्पोडेंट के विरूद्व ग्राम गुणीनीचा तहसील खेतड़ी की भूमि खसरा नम्बर 65,71,112,114 के सन्दर्भ में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में उभयपक्ष की राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय के विरूद्व रेस्पोडेंट ने प्रथम अपील प्रस्तुत की अपील न्यायालय ने अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई पूर्व राजीनामें के मुताबिक विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं अपीलांट व रेस्पोडेंट स्वंय ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामे की पुस्त पर एवं आदेशिका पर सभी पक्षकारान ने हस्ताक्षर किये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामे की इबारत उभयपक्ष को पढ़कर सुनाई गई जिसे उभयपक्ष ने सही होना स्वीकार किया। इस पर न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने मुताबिक राजीनामा विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं अपीलांट व रेस्पोडेंट स्वंय ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है एवं राजीनामे की पुस्त पर एवं आदेशिका पर सभी पक्षकारान ने हस्ताक्षर किये पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामे की इबारत उभयपक्ष को पढ़कर सुनाई गई जिसे उभयपक्ष ने सही होना स्वीकार किया है। इस पर न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया है। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने मुताबिक राजीनामा विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के द्वारा लोक अदालत की भावना से किये गये राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मुताबिक राजीनामा रेस्पोडेंट संख्या 1 दयाराम पुत्र स्व. श्री हरलाल जाति गुर्जर निवासी गुणीनीचा (माधोगढ़) को खसरा नम्बर 1733/71 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1712/114 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1711/114 रकबा 0.02 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार अपीलांट बनवारीलाल पुत्र स्व. श्री हरलाल को खसरा नम्बर 1708/112 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1709/112 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1710/112 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.38 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 2 धर्मपाल सिंह पुत्र स्व. श्री हरलाल को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

खसरा नम्बर 1704/65 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1734/71 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1705/71 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1707/71 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1733/71 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1713/114 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1712/114 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1706/71 रकबा 0.06 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त भूमियों मे खसरा नम्बर 1709/112 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1710/112 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 112 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर तीनो भाई दयाराम, बनवारी, धर्मपाल का सामलाती रास्ता श्री बनवारीलाल के पुख्ता मकान जो की खसरा नम्बर 1710/112 में बने हुये है के पीछे से बीचो बीच कटान करने के आदेश दिये जाते है। बनवारीलाल के हिस्से में 0.08 हैक्टेयर ज्यादा जमीन खसरा नम्बर 112, 1709/112,1710/112 से आई है। इसके उजर भविष्य में दयाराम व धर्मपाल सिंह एवं इनके वारिसान नही करेगें। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1733/71 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1705/71 रकबा 0.20 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1734/71 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर श्री दयाराम पुत्र श्री हरलाल व धर्मपाल सिंह पुत्र हरलाल का शामलाती रास्ता घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

डिक्री व सिगे अपील
आर्डर 41रूल 35 जाब्ता दीवानी
Civil Procedure Code Appendix "G"9
अज अदालत राजस्व अपील अधिकारी सीकर
बइजलास श्री राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस

1 बनवारीलाल पुत्र हरलाल जाति गुर्जर निवासी गुणीनीचा तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 दयाराम पुत्र हरलाल।
2 धर्मपाल पुत्र हरलाल समस्त जाति गुर्जर निवासीगण गुणीनीचा तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

नियमित अपील संख्या 03/2017 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बाबत रेवेन्यू दावा संख्या 167/2016 उनवानी बनवारीलाल बनाम दयाराम वगैरह।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राम रतन सौंकरिया आर.ए.एस. बहाजरी श्री सुलतान बाकोलिया वास्ते अपीलांट श्री मनोहरलाल सैनी वास्ते रेस्पोडेंट।

AdL
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
राजस्व अपील अधिकारी
(झुंझुनूं)

हुक्म दिया जाता है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मुताबिक राजीनामा रेस्पोडेंट संख्या 1 दयाराम पुत्र स्व. श्री हरलाल जाति गुर्जर निवासी गुणीनीचा (माधोगढ़) को खसरा नम्बर 1733/71 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1712/114 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1711/114 रकबा 0.02 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार अपीलांट बनवारीलाल पुत्र स्व. श्री हरलाल को खसरा नम्बर 1708/112 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1709/112 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1710/112 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.38 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 2 धर्मपाल सिंह पुत्र स्व. श्री हरलाल को खसरा नम्बर 1704/65 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1734/71 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1705/71 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1707/71 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1733/71 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1713/114 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1712/114 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1706/71 रकबा 0.06 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त भूमियों मे खसरा नम्बर 1709/112 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1710/112 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 112 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर तीनो भाई दयाराम, बनवारी, धर्मपाल का सामलाती रास्ता श्री बनवारीलाल के पुख्ता मकान जो की खसरा नम्बर 1710/112 में बने हुये है के पीछे से बीचो बीच कटान करने के आदेश दिये जाते है। बनवारीलाल के हिस्से में 0.08 हैक्टेयर ज्यादा जमीन खसरा नम्बर 112, 1709/112,1710/112 से आई है। इसके उजर भविष्य में दयाराम व धर्मपाल सिंह एवं इनके वारिसान नही करेगें। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1733/71 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1705/71 रकबा 0.20 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1734/71 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर श्री दयाराम पुत्र श्री हरलाल व धर्मपाल सिंह पुत्र हरलाल का शामलाती रास्ता घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है।

डिक्री आज दिनांक 13.12.23 को जारी की गई।

हस्ताक्षर
मोहर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

नियमित अपीलकार	रूपया	पैसे	गैरनियमित अपीलकार	रूपया	पैसे
स्टाम्प नियमित अपील		00	स्टाम्प क्रोस अपील		00
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प वकालतनामा		00
नियमित अपील हुकमनामा		00	नियमित अपील हुकमनामा		00
वकील फीस बाबत		00	मेहनताना अपील		00
मीजान			मीजान		

हस्ताक्षर
मोहर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)